Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Ltd.

(Formerly RSBCC Ltd.)

(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)

CIN No. U45203RJ1979SGC001853

Regd. Office : Setu Bhawan, Opposite Jhalana Doongari, Jaipur-Agra Bypass, Jaipur-302004

LC

B-19(17)LC/RTPP/ 2716o **Date:-** 16-11-18

<u>अतिआवश्यक</u>

Receipt No........
Date ....

परियोजना निदेशक,
आर.एस.आर.डी.सी.लि.,
इकाई:– विद्युत–प्रथम, जयपुर।

विषयः– प्रथम अपील अधिकारी द्वारा प्रथम अपील 17/2018, M/s A.G. Construction Co. जरिये श्री (Prop. Ajay Kumar Garg) ने परियोजना निदेशक सरदारशहर, आर.एस.आर.डी.सी. में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2018 आर.एस.आर.डी.सी. लि. के पोर्टल पर अपलोड करने के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत दर्शित प्रथम अपील में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2018 की प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न कर अनुरोध है कि निर्णय को आर.एस.आर.डी.सी.लि. के पोर्टल पर अपलोड करते हुये अपलोड की सूचना विधि विभाग को देने का श्रम करें।

भवदीय,

(सुधीर कुमार दीक्षित)
विधि सलाहकार

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

15/11/18
Administrative Officer
(L.C.) RSRDC, Jaipur

Phone: EPBX-2711386-90 E-Mail:- gm@rsrdc.com Fax:- 0141-2711178 Website:- RSRDC.Com

RTPP

कार्यालय प्रथम अपीलीय प्राधिकार, आर.एस.आर.डी.सी. लि.

अपील संख्या 17 / 2018

M/s A. G. Construction Co.

बनाम

परियोजना निदेशक यूनिट – सरदारशहर, आर.एस.आर.डी.सी.

प्रथम अपीलीय अधिकारी – शैलेन्द्र माथुर (महाप्रबन्धक)

उपस्थित –

1. अपीलार्थी – श्री अजय कुमार गर्ग
2. प्रतिपक्ष – श्री डी.के. सिंघल, परियोजना निदेशक यूनिट – सरदारशहर, आर.एस.आर.डी.सी.

निर्णय

दिनांक :– 14.11.2018

यह कि वर्तमान अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अन्तर्गत धारा – 38 राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदिर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत अपीलार्थी क्रे द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपीलार्थी M/s A. G. Construction Co. ने जरिये श्री अजय कुमार गर्ग ने परियोजना निदेशक यूनिट – सरदारशहर द्वारा अपलोड की गई तकनीकी समिति की रिर्पोट को चुनौती दी है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है। :–

यह है कि परियोजना निदेशक सरदारशहर, द्वारा पुलिस स्टेशन रायसिंग नगर जिला गगांनगर, में सिविल वर्क के कार्य की ई – निविदा की सूचना (संख्या 2018 आर. एस.आर.डी.सी. 130831–1) दिनांक 02.10.2018 को जारी की गई अपीलान्ट द्वारा सभी औपचारिकताऍ पूर्ण कर ई – निविदा अपलोड की गई प्रतिपक्ष द्वारा तकनीकी मूल्याकन समिति की बैठक आयोजित की गई अपीलान्ट की निविदा को इस आधार पर स्वीकार नही किया गया कि अपीलान्ट को निविदा में वांछित अनुभव प्राप्त नही है।

अपीलान्ट का कथन है कि उसने निविदा के साथ मैसर्स बी. जी. कन्स्ट्रक्शन कम्पऩी में 50 प्रतिशत शैयर के भागीदार होने की अन्डरटेकिंग दिनांक 01.10.2018 प्रस्तुत की गई थी। तकनीकी मूल्याकंन समिति द्वारा बी.जी. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी में प्राप्त अनुभव को इस निविदा के लिए अनुभव नही मानने की त्रृटि की है। मैसर्स बी. जी. कन्स्ट्रक्शन के अनुभव को इस निविदा में शामिल करवाया जाकर अनुभव पूर्ण मानते हुये तकनीकी मूल्याकंन समिति के निर्णय को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिपक्ष द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत किया गया प्रतिपक्ष का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा निविदा के साथ मैसर्स बी.ज़ी. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी में 50 प्रतिशत शैयर की अन्डरटेकिंग प्रस्तुत की थी। अपीलार्थी द्वारा मैसर्स बी.जी. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की

पार्टनरशिप दिनांक 01.04.2012 प्रस्तुत की है। जिसमें श्री अजय कुमार गर्ग को 50 प्रतिशत लाभ एवं हानि के शैयर दर्शित है। अन्डरटेकिंग दिनांक 01.10.2018 एवं पार्टनरशिप डिड दिनांक 01.04.2012 के आधार पर मैसर्स बी.जी. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के अनुभव को M/s A. G. Construction Co. के अनुभव में शामिल नही किया जा सकता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत अभिलेख एवं प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत का जवाब एवं अभिलेख का अनुशीलन, अवलोकन व विवेचन किया गया। मैसर्स बी.जी.कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के अनुभव को अपीलान्ट की कम्पनी का अनुभव नही मानते हुये तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अपीलान्ट की निविदा को स्वीकार नही करने के निर्णय लिये जाने में कोई त्रुटि नही की गई है।

अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त किए जाने योग्य है।
आदेश आज दिनांक 14.11.2018 को सुनाया गया ।

प्रथम अपीलीय प्राधिकार ,

14/11/18

(महाप्रबन्धक)

आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर ।